



पशुधन द्वारा
जीवन में गुणवत्ता सुधार



बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

पशु, पक्षी तथा मछलियों हेतु चारा/दाना की दुकानें तथा अण्डे, मुर्गी एवं मीट की दुकानें खुली रखने के संबंध में आवश्यक जानकारी



- कोरोना वायरस (COVID 19) के संक्रमण को रोकने हेतु लगाये गये लॉक-डाउन में बिहार सरकार द्वारा पशु/पक्षी तथा मछली चारा/दाना की दुकानें तथा अण्डे, मुर्गी एवं मीट की दुकाने खोलने तथा बिक्री एवं उनके आवागमन पर कोई रोक नहीं लगाई गयी है।
- इसके साथ ही राज्य में मुर्गी, अण्डे, मीट तथा हैचरी के चुजों के आवागमन पर भी कोई रोक नहीं लगायी गयी है।
- दुकान खोलने अथवा आवागमन संबंधी किसी प्रकार की समस्या होने पर संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी अथवा पुलिस अधीक्षक को शिकायत की जा सकती है।
- किसी भी आपात स्थिति हेतु सभी सरकारी एवं निजी पशु चिकित्सालय, वेटनरी पैथोलॉजिकल सेवा, पशुशाला आदि के कार्य पर भी किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है।

**अतः सभी पशुपालक भाईयो से अनुरोध है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों में ना आये
एवं सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नियमों का पालन करें।**

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, पशुपालन सूचना एवं प्रसार कार्यालय, बिहार द्वारा जनहित में प्रचारित